

आवेदन क्रं. 2015-18/

**अल्पकालीन ऋण साख सीमा (किसान क्रेडिट कार्ड) स्वीकृति हेतु
प्रार्थना - पत्र**

रिवाइज्ड लिमिट

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

.....ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.,

पंचायत समिति जिला - चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़

विषय : वर्ष 2015 से 2018 की रिवाइज्ड अल्पकालीन साख सीमा स्वीकृत करने बाबत ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं पुत्र श्री.....

जातिउम्र निवासी उक्त समिति का सदस्य होकर मेरी अल्पकालीन साख सीमा वर्ष 2013 से 2018 की पूर्व में दिनांक को स्वीकृत हुई, जिसे मैं उसी भूमि विवरण के आधार पर जो कि मेरे हिस्से की एकड़ भूमि है, उसे नये नोमर्स से रिवाइज्ड स्वीकृत कराना चाहता हूँ । अतः मेरी साख सीमा रिवाइज्ड कराने का कष्ट करावें । शेष शर्तें पूर्ववत् फार्म के अनुसार रहेगी ।

दिनांक :-

हस्ताक्षर/निशानी आवेदनकर्ता

(.....)

.....ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड

क्रमांक :

दिनांक :

श्री पुत्र श्री जाति निवासी

..... खाता नं.की पूर्व में दिनांक को स्वीकृत साख सीमा को नये फसली मापदण्डानुसार वर्ष 2015-18 के लिए संशोधित अल्पकालीन साख सीमा स्वीकृत की जा सकती है ।

1. कृषि मापदण्ड के अनुसार साख सीमा का निर्धारण

(अ) खरीफ

क्र. सं.	बोई जाने वाली फसल का नाम	एकड़	भाग अ	भाग ब	योग अ+ब
1					
2					
योग					

(ब) रबी

क्र. सं.	बोई जाने वाली फसल का नाम	एकड़	भाग अ	भाग ब	योग अ+ब
1					
2					
योग					

(स)

	नकद	जीन्स	योग
खरीफ			
रबी			
योग			

नोट :- "अ" भाग की जोड़ 127500/- रु. एवं "ब" भाग की जोड़ 22500/- रु. कुल योग में 150000/- रु. से ज्यादा की जोड़ नहीं होगी ।

साख सीमा का निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक

क्रं.	विवरण	खरीफ			रबी			कुल योग
		फसली	अन्य	योग	फसली	अन्य	योग	
1	वित्तमान के अनुसार साख सीमा बनती है 1(स) के अनुसार							
2	योग वित्तमान में वृद्धि 10% फसल कटाई के बाद खर्च उपयोग के लिए							
3	योग वित्तमान में वृद्धि 20% कृषि क्षेत्र रख रखाव के लिए							
4	योग							
5	वर्ष 2015-16 के लिए साख सीमा (सैकडा में राउण्डअप)							
6	दूसरे वर्ष के लिए वित्तमान क्रं.सं. 5 में 10% वृद्धि							
7	योग							
8	वर्ष 2016-17 के लिए साख सीमा (सैकडा में राउण्डअप)							
9	तीसरे वर्ष के लिए वित्तमान क्रं.सं. 7 में 10% वृद्धि							
10	योग							
11	वर्ष 2017-18 के लिए साख सीमा (सैकडा में राउण्डअप)							

अधिकतम स्वीकार्य ऋण सीमा रु. की स्वीकृति की सिफारिश की जाती है।

अध्यक्ष

व्यवस्थापक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा

कार्यालय सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक, शाखा

क्रमांक :

दिनांक :

.....ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., से श्री
पुत्र श्री जाति निवासीके आवेदन
पत्र अनुसार वर्ष 2015-18 के लिए निम्नानुसार रिवाईजड अल्पकालीन ऋण साख सीमा स्वीकृति की
अनुशंसा की जाती है।

वर्ष	खरीफ	रबी	योग
2015-16			
2016-17			
2017-18			

स.अ.अ./ऋण पर्यवेक्षक

कार्यालय शाखा प्रबन्धक, शाखा

क्रमांक :

दिनांक :

सहायक अधिशाषी अधिकारी/ऋण पर्यवेक्षक की सिफारिश के अनुसार श्री
पिताजाति निवासीसदस्य
ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., की अल्पकालीन ऋण साख सीमा वर्ष 2015-16 के लिए रु.
2016-17 के लिए रु.2017-18 के लिए रु. के लिए स्वीकृति की जाती है।

शाखा प्रबन्धक

वचन – पत्र

मैं पुत्र/पत्नी श्री
जातिनिवासीतहसीलजिला-चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़
.....ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेडअथवा उनकी आज्ञानुसार प्रति
वर्ष खरीफ फसल (अप्रैल से अगस्त) के दौरान समय समय पर रूपये की अधिकतम
सीमा तक फसली कृषि कार्य हेतु प्राप्त राशि को 31 मार्च तक या उसके पूर्व तथा रबी फसल (सितम्बर, से
फरवरी तक) के दौरान समय समय पर रूपये की अधिकतम सीमा तक फसली कृषि कार्य
हेतु प्राप्त ऋणों को 30 जून तक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से चुकाने का वचन देता हूँ।

मैं यह भी लिख देता हूँ कि निर्धारित अवधि में रकम नहीं चुकाने का दोषी होने पर
प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज चुकाऊंगा। आगामी तीन सालों में खरीफ फसल या रबी फसल के
समिति से प्राप्त किये जाने वाले ऋणों के लिए यही वचन पत्र लगातार प्रभावी जमानत के बतौर रहेगा।
उसके पश्चात सीमावधि का समय प्रारम्भ होगा।

स्थानदिनांक

हस्ताक्षर/निशानी
ऋण प्राप्तकर्ता

ऋण – पत्र (बोण्ड पत्र)

इस ऋण पत्र द्वारा मैं आज दिनांकको लिख देता हूँ कि
ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, ग्राम ने मेरी उधार की अल्पकालीन ऋण
सीमा रूपयेअक्षरे रूपयेस्वीकृत की है
जिसे मैं जैसे-जैसे रकम की आवश्यकता होगी, नकद या माल के रूप में सहकारी समिति द्वारा जारी चेक
बुक के द्वारा समय-समय पर लेता रहूँगा। मैं द्वारा जारी चेक ही रसीद के रूप में मान्य होंगे। उक्त
ऋण की रकम खरीफ को 31 मार्च से पूर्व एवं रबी को 30 जून के पूर्व निम्न शर्तों के अनुसार
प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित चुकाना स्वीकार करता हूँ तथा भविष्य में ब्याज की दरों में होने वाले
परिवर्तनों को भी स्वीकार करता हूँ। निर्धारित अवधि में रकम नहीं चुकाने का दोषी होने पर रूपये
..... प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज चुकाना मुझे स्वीकार है।

इस ऋण पत्र में लिखी हुई उधार की कुल रकम मैंने एक वचन पत्र रूपये का
लिख दिया है। समिति से लिये हुए इस ऋण का भार मेरे स्वयं की, रहन की और किराये पर ली हुई
तथा भागीदारी की जमीन से उत्पन्न सब प्रकार की पैदावार पर ऋण की कुल रकम जमा होने तक प्रथम
भार समिति का रहेगा और मैं पैदावार समिति द्वारा आदेशित स्थान पर तथा समिति या आढ़तिया के माध्यम
से बेचने के लिए पाबंद रहूँगा।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि इस सम्बन्ध में समिति के वर्तमान या समय-समय पर आगे बनाये
जाने वाले नियमों के अनुसार अमल करूँगा व सब प्रकार से बाध्य रहूँगा।

यदि मैं समिति की प्रबन्धकारिणी की राय में किसी समय भी ऊपर लिखी हुई किसी भी शर्त का
पालन नहीं करता हूँ तो इस ऋण पत्र के अधीन ली हुई रकम या बाकी रही रकम ब्याज सहित समय
अवधि से पूर्व किसी भी समय बसूल करने का समिति को पूरा अधिकार होगा।

मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि ऊपर लिखी शर्त में कुछ भी लिखा होने के उपरान्त भी प्रबन्धकारिणी समिति की राय में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो उस समय मेरी और लेनी रकम को वसूल करने के लिए स्वयं की, भागीदारी की तथा किराये की जमीन की पैदावार को कब्जे में लेने का प्रबन्धकारिणी समिति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सम्पूर्ण अधिकार होगा और जब कब्जा लिया जावेगा तो उसमें कोई अडचन नहीं डालूंगा ।

दिनांक :-

.....

ऋण लेने वाले का हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....

2. गवाह का नाम.....

पुत्र श्री

पुत्र श्री

निवासी

निवासी

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक :

दिनांक :

प्रतिभूति पत्रक

दिनांक :

हम श्रीपुत्र श्रीऔर श्री
..... पुत्र श्रीदोनों संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त समिति द्वारा ऋण पत्र के अनुसार दी हुई रकम यदि उपरोक्त अवधि या/आवश्यकतानुसार समय समय पर बढ़ाई हुई अवधि के भीतर (जिसके लिए हमारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और जिसके लिए हम केवल समिति के निर्णय से बाध्य होंगे) असल ऋणी से वसूल नहीं होगी, तो उसकी तरफ बाकी लेनी असल रकमरूपया तक और उस पर चढ़े हुए ब्याज की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और यह भी हम स्वीकार करते हैं कि यदि उपरोक्त ऋण की सम्पूर्ण रकम निश्चित अवधि के भीतर जमा नहीं होगी तो हम दोनों संयुक्त और अलग अलग रूप से अदा करेंगे ।

1. हस्ताक्षर/निशानी (जमानतदार)

2. हस्ताक्षर/निशानी (जमानतदार)

पता

पता

प्रमाणित

अध्यक्ष

व्यवस्थापक

.....ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड,